श्री लखविंदर सिंह, प्रोप. मैसर्ज लखविंदर सिंह स्टोन क्रशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट यूनिट–I, ग्राम व डाकघर पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 1319 एवं 1323, मौजा कुठार बीत, मोहाल जोड़ियां कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 03–86–14 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,01,952 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 12.08.2025 को सुबह 11:30 बजे, श्री लखविंदर सिंह, प्रोप. मैसर्ज लखविंदर सिंह स्टोन क्रशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट यूनिट–I, ग्राम व डाकघर पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 1319 एवं 1323, मौजा कुठार बीत, मोहाल जोड़ियां कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 03–86–14 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,01,952 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत कुठार बीत के पंचायत घर के नजदीक खुला मैदान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, एस.डी.एम. हरोली, खनन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो क्रे निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आंयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की गई।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स जे.एम.एस. एनवायरो केयर एंड इनोवेटिव सेंटर, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूंह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्री सुरजीत सिंह, गांव व डाकघर कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि परियोजना से संबंधित जो भी शर्तें बताई गई हैं, उनकी जानकारी / प्रतिलिपि स्थानीय ग्राम पंचायत को भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में यदि इन शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो पंचायत में प्रस्ताव पारित कर इसकी शिकायत की जा सके। उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया कि जिस भूमि पर, खनन किया जाएगा, उस पर वृक्षारोपण परियोजना प्रवर्तक करेंगे या भूमि स्वामी स्वयं करेंग उन्होंने बताया कि उन्होंने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर अपनी भूमि 21 वर्ष के लिए परियोजना प्रवर्तक को पट्टे पर दी थी। उस भूमि पर पेड़ों के तीन कटान हुए हैं। उन्होंने कहा कि उस भूमि पर उन्होंने परियोजना प्रवर्तक से	परियोजना प्रवर्तक के परामर्शदाता ने उत्तर देते हुए कहा कि खनन क्षेत्र मे पेड़ लगाने का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का है।

		कहकर वृक्षारोपण करवाया था, किंतु वृक्ष लगाने वाले ठेकेदार द्वारा अब उन वृक्षों में हिस्सा माँगा जा रहा है, जो सरासर गलत है और यह उनके साथ अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे वृक्ष उनकी संपत्ति हैं।	
2.	श्री राम लाल, गांव व डाकघर पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि परियोजना प्रवर्तक का स्वभाव अत्यंत अच्छा है और गाँव में किसी को भी उनसे कोई आपत्ति अथवा दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना प्रवर्तक गाँववासियों का बड़ा सहयोग करते हैं और वे हमेशा गरीबों की सहायता करते आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना से कोई आपत्ति नहीं है।	
3.	श्री राजदीप सिंह, पूर्व बी.डी.सी. सदस्य कुठार बीत, ग्राम पंयायत कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि परियोजना प्रस्तावक का गाँववासियों के साथ का व्यवहार बड़ा सहयोगात्मक रहा है और वे हमेशा गरीबों एवं जरूरतमंदों की सहायता करते आए हैं। अतः उन्हें व गांववासियों को परियोजना प्रवर्तक से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या हो, जैसे पेड़ आदि से संबंधित, तो परियोजना प्रवर्तक उसका समाधान भी जरुर करें। हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि परियोजना प्रवर्तक द्वारा पूर्व की लीज में खनन उपरांत बने गड्ढों को मिट्टी भरकर समतल किया गया और उन पर वृक्षारोपण भी किया गया है, जबकि गाँव में स्थित एक अन्य क्रशर ने खनन के बाद बने गड्ढों को न तो भरा, न ही भूमि को समतल कर वृक्ष लगाए। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रवर्तक के लीज क्षेत्र में व्यक्ति आसानी से मोटरसाइकिल से भी आ–जा सकता है तथा वहाँ धूल की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ दिन–रात पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके विपरीत, अन्य क्रशरों के लीज क्षेत्र के पास इतनी धूल उड़ती है कि वहाँ से वाहन से गुजरना भी कठिन हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रशासन को पहले भी अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने क्षेत्र में स्थित एक अन्य क्रशर से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए माँग की कि उक्त क्रशर की भी जनसुनवाई आयोजित की जाए। उन्होंने शिकायत की कि उस स्टोन क्रशर ने उनकी भूमि के एक खसरा नंबर को पूरी तरह खोद डाला है, जबकि नियम के अनुसार किसी भी लीज से सटी भूमि से कम से कम 5 मीटर की दूरी छोड़कर ही खनन किया जाना चाहिए। अंत में उन्होंने दोहराया कि परियोजना प्रवर्तक गाँव के सामाजिक कार्यों, जैसे गरीब लड़कियों की शादी आदि में भी सहयोग प्रदान करते रहे हैं और उन्हें उनकी प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।	
4.	श्री कुलदीप चंद, गांव व डाकघर कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि परियोजना प्रवर्तक द्वारा की जा रही खनन गतिविधि उनकी भूमि से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हो रही है। उन्होंने बताया कि जिन भू–स्वामियों ने अपनी जमीन खनन हेतु लीज पर दी है, यदि वे उस भूमि पर कोई	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने उत्तर देते हुए कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना से संबंधित सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। धूल की रोकथाम हेतु सड़कों पर तथा

		फसल या पौधे लगाना चाहें तो धूल प्रदूषण के कारण उनका विकास संभव नहीं होता और इस नुकसान की भरपाई उन्हें स्वयं करनी पड़ती है। उन्होंने उल्लेख किया कि परियोजना प्रवर्तक के परामर्शदाता द्वारा यह कहा जा रहा है कि खनन गतिविधियों के कारण रास्तों में कोई प्रदूषण नहीं होता, परंतु वास्तविकता यह है कि ग्रीष्म ऋतु में जब कोई गाँव में होकर गुजरता है तो धूल के कारण आगे तक देख पाना कठिन हो जाता है। उन्होनें यहाँ किए जा रहे दावे केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि धरातल पर स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने कहा कि उनकी भूमि से मात्र 50 मीटर की दूरी पर खनन हो रहा है, फिर भी उन्होंने अब तक इसका विरोध नहीं किया। तथापि यह तथ्य है कि इस गतिविधि से मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि खनन गतिविधियों से उत्पन्न धूल एवं प्रदूषण से गाँववासियों को अवश्य ही नुकसान हो रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब गेहूँ की फसल की कटाई की जाती है तो उससे इतनी धूल उठती है कि मनुष्य के लिए साँस लेना कठिन हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति दमा का रोगी हो तो उसके लिए जीना ही असंभव हो जाएगा। अतः उन्होंने निवेदन किया कि परियोजना प्रवर्तक को गाँववासियों के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा सहयोग (दान)प्रदान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में (लगभग डेढ़–दो माह पूर्व) अवैध खनन के चालान हुए हैं, क्रशरों में अनियमितताएँ पाई गईं तथा टिपरों की दुर्घटनाएँ हुई हैं। जो कि यह दर्शाता है कि धरातल पर सब कुछ सही से नही चल रहा है। उन्होनें आग्रह किया कि इन खनन गतिविधियों की धरातल पर उचित जाँच की जानी चाहिए। उन्होनें दोहराया कि उनकी जमीन से 50 मीटर की दूरी पर खनन हो रहा है, परन्तु उन्होनें कभी इसका विराध नही किया। उन्होनें कहा कि खनन गतिविधियों से नुक्सान तो रहा है, परन्तु खनन करना तथा क्रशर उद्योग चलना आवश्यक है, विकास कार्यों के लिए निर्माण सामग्री भी चाहिए, परंतु मानव जीवन के नुकसान की भरपाई हेतु कोई प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने फिर से निवेदन किया कि परियोजना प्रवर्तक गाँव के हित में सहयोग/दान स्वरूप कुछ प्रदान करें जिससे सभी ग्रामवासी लाभान्वित हों।	उन बिंदुओं पर, जहाँ अधिक धूल उड़ने की संभावना होगी, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही, ट्रकों में ले जाए जाने वाले सभी सामग्री को तिरपाल से ढककर ही परिवहन किया जाएगा।
5.	श्री संजीव शर्मा, गांव व डाकघर कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि आसपास के सभी गाँववासी गरीब हैं और यदि किसी को मकान निर्माण के लिए सामग्री की आवश्यकता हो तो यहाँ चल रहे क्रशरों से उन्हें सहयोग मिलना चाहिए, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। उन्होंने बताया कि बड़ी समस्या यह है कि ट्रैक्टर मालिक प्रधानों से पर्चियाँ कटवाकर क्रशर से मुफ्त में बजरी एवं रेत ले लेते हैं और बाद में उसे बेच देते हैं। जबकि गरीब ग्रामीणों को जिन्हें वास्तव में बजरी व रेत की आवश्यकता होती है तो उन्हें यह उपलब्ध नहीं हो पाती और उनकी	

		कोई सुनवाई भी नहीं होती। जबकि दूसरी ओर ट्रैक्टर मालिक पर्ची बनवाकर मुफ्त में बजरी एवं रेत लेकर उसे बाहर बेच रहें हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस समस्या को समाप्त किया जाना चाहिए और गरीब लोगो को मकान बनाने के लिए पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए।	

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान एवं कार्यक्रम के बाद भी लिखित में कोई भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नही हुई।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

महेन्द्र पाल गुर्जर
अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)

Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Lakhwinder Singh, Prop., M/s Lakhwinder Singh Stone Crusher & Screening Plant Unit-I, VPO Polian Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 1,01,952 MT/Year from Khasra Nos., 1319 & 1323 falling in Mauza Kuthar Beet, Mohal Joddian Kuthar Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 03-86-14 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 12/08/2025 at 11:30 AM at Open Ground Near Panchayat Ghar of Gram Panchayat Kuthar Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Lakhwinder Singh, Prop., M/s Lakhwinder Singh Stone Crusher & Screening Plant Unit-I, VPO Polian Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 1,01,952 MT/Year from Khasra Nos., 1319 & 1323 falling in Mauza Kuthar Beet, Mohal Joddian Kuthar Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 03-86-14 Hectares (Private Land, Hill Slope), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 12/08/2025 at 11:30 ZM at Open Ground Near Panchayat Ghar of Gram Panchayat Kuthar Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, SDM Haroli, Mining Officer Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of **ADC Una** cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s JMS Enviro Care & Innovative Centre, Baddi (HP) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/ Suggestions submitted
1.	Sh. Surjit Singh, VPO Kuthar Beet, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He stated that a copy of all the conditions related to the project should also be made available to the local Gram Panchayat so that, in the future,	The Consultant of the Project Proponent, while responding, stated that the responsibility of

		if any violation of these conditions is found, a resolution may be passed in the Panchayat and a complaint can be lodged. He also raised the question of whether the plantation on the land to be mined would be undertaken by the Project Proponent or by the landowners themselves. He informed that, along with other villagers, he had leased out his land to the project proponent for 21 years. On this land, three instances of tree felling have taken place. He further stated that he had got plantation carried out on this land through the project proponent, but now the contractor who planted the trees is demanding a share in those trees, which is completely wrong and an injustice to him. He clearly stated that those trees are his property.	tree plantation in the mining area lies with the Project Proponent.
2.	Sh. Ram Lal, VPO Polian Beet, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He said that the nature of the Project Proponent is extremely good and that no villager has any objection or problem with him. He further stated that the Project Proponent extends great cooperation to the villagers and has always been helping the poor. He also mentioned that he has no objection to the establishment of the proposed mining project.	
3.	Sh. Rajdeep Singh, Former BDC Member, Kuthar Beet, Gram Panchayat Kuthar Beet, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He said that he has no objection to the proposed mining project. He mentioned that the behavior of the project proponent with the villagers has always been very cooperative, and he has consistently helped the poor and needy. Therefore, neither he nor the villagers have any issue with the Project Proponent. He further said that if any individual has a personal grievance, such as matters related to trees, then the Project Proponent should certainly address and resolve it. He highlighted that in the earlier lease, the Project Proponent had refilled the pits created due to the mining pits with soil,	

		leveled the land, and carried out plantation, whereas another crusher operating in the village neither filled nor leveled the excavated pits, nor carried out plantation. He added that in the Project Proponent's lease area, people can easily commute even by motorcycle and there is no issue of dust, since regular sprinkling of water is carried out day and night. In contrast, near the lease area of other crushers, dust pollution is so severe that it becomes difficult even to pass through the area by vehicle. He also mentioned that the Administration had earlier been informed about this matter. While pointing out the problems caused by another crusher in the area, he demanded that a similar public hearing should also be conducted for that crusher. He complained that the said crusher had completely excavated one of his khasra numbers, whereas as per rules, a minimum distance of 5 meters must be left from adjoining land while carrying out mining. In conclusion, he reiterated that the Project Proponent has been extending support to village social activities, such as marriages of poor girls, and that he has no objection to the proposed mining project.	
4	Sh. Kuldeep Chand, VPO Kuthar Beet, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	Presenting his objection, he said that the mining activity being carried out by the Project Proponent is taking place at a distance of only 50 meters from his land. He stated that the landowners who have leased their land for mining, if they wish to cultivate crops or grow plants on that land, their growth becomes impossible due to dust pollution, and they themselves have to bear this loss. He pointed out that while the Consultant of the Project Proponent has claimed that there is no pollution on the roads due to mining activities, the reality is otherwise. During the	The Consultant of the Project Proponent replied that all provisions related to the proposed mining project will be complied with. To control dust, regular water sprinkling will be carried out on roads and at points where there is a high likelihood of dust emissions. Additionally, all material transported by trucks will be covered with tarpaulins.

		summer season, when anyone passes through the village, it becomes difficult to see ahead due to dust. He emphasized that such claims exist only on paper, whereas the situation on the ground is completely different. He further said that even though mining is being carried out at a distance of just 50 meters from his land, he has never opposed it so far. Nevertheless, the fact remains that this activity adversely affects human life. He added that the dust and pollution generated from mining activities certainly cause harm to the villagers. Giving an example, he said that when the wheat crop is harvested, so much dust is raised that it becomes difficult for humans to breathe, and if a person is suffering from asthma, survival becomes impossible. Therefore, he requested that the Project Proponent should provide some form of compensation or assistance (donation) to the villagers. He also stated that recently (about one and a half to two months ago), challans were issued for illegal mining, irregularities were found in crushers, and accidents of tippers, which indicates that everything is not functioning properly on the ground. He urged that proper inspection of these mining activities should be carried out at the ground level. He reiterated that although mining is being conducted only 50 meters away from his land, he has never opposed it. He acknowledged that mining activities do cause harm, but mining and crusher operations are essential since construction materials are required for development works. However, there must be some provision to compensate for the harm caused to human life. He once again requested that the Project Proponent should contribute in the form of assistance/donation for the welfare of the villagers so that the entire village may benefit.	

5.	Sh. Sanjeev Sharma, Village & Post Office Kuthar Beet, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He said that all the villagers in the surrounding areas are poor, and if anyone requires material for the construction of a house, they should receive support from the crushers operating here. However, in reality, this does not happen. He explained that the major problem is that tractor owners get slips issued from the Gram Panchayat Pradhans and take gravel and sand free of cost from the crusher, but later they sell it. On the other hand, poor villagers, who genuinely need gravel and sand, are unable to get it, and their grievances are not heard. On the other hand, tractor owners get slips issued, take gravel and sand free of cost, and sell it outside. He requested the Administration that this problem should be resolved and that poor people should be fully supported in getting materials for house construction.	

During the proceedings of the public hearing and even after the programme, no written suggestion, idea, comment or objection was received.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Mahendra Pal Gurjar
Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)